रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20122025-268669
SG-DL-E-20122025-268669

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2025/अग्रहायण 27, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 383
No. 391] DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2025/AGRAHAYANA 27, 1947 [N. C. T. D. No. 383

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2025

फा. सं. डीपीसीसी(3)(3)(8–17)/प्रशा0–14/5141:–जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 2 के खंड (प) के साथ पठित धारा 12 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं0 डीपीसीसी/(3)(3)(8–17)/प्रशा0–14/1517 के अधिक्रमण, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के पूर्वानुमोदन से एतद् द्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **प्रशासनिक अधिकारी** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियमन बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :–** (1) इन विनियमनों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, प्रशासनिक अधिकारी, भर्ती विनियमन, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमनों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।:

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :– जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमनों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमनों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	प्रशासनिक अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	2*(2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 9 (53100–167800/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं

10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है**	:	**पदोन्नतिः–** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600–151100/–रुपये) में पद में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुभाग अधिकारी। **टीपः–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है और पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी भी विचारणीय होंगे, बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी निर्धारित अर्हक सेवा की आधी से अधिक या दो वर्ष जो भी इनमें कम हो, से कम न हो और अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च ग्रेड में अपनी पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/ सांवधिक निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारीः– (क) (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 8 (47600–151100/–रुपये) में पद में कम से कम दो वर्ष की नियमित सेवा वाले **अथवा** वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 7 (44900–142400/–रुपये) में पद में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले या समकक्ष; तथा (ख) निम्नलिखित हो : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (2) पर्यवेक्षी क्षमता में प्रशासन, लेखा तथा स्थापना कार्य में पांच वर्ष का अनुभव। कार्मिक प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। **टीपः** केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी। भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृखंला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु

			विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :** (1) अध्यक्ष, डीपीसीसी – अध्यक्ष (2) एम एस, सीपीसीबी या उनका नामिती –सदस्य (3) एम एस, डीपीसीसी – सदस्य (4) दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के दो सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामित) – सदस्य (5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधि – सदस्य
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

संदीप मिश्रा, सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(Delhi Pollution Control Committee)

NOTIFICATION

Delhi, the 15th December, 2025

F. No. DPCC/(3)(3)(8-17)/Admn-14/5141.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and in supersession of Notification No. DPCC/(3)(3)(8-17)/Admn-14/1517 dated 1st September, 2017 published in the Delhi Gazette, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Delhi Pollution Control Committee with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the regulations regarding method of recruitment for the post of Administrative Officer in the Delhi Pollution Control Committee, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(I) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Administrative Officer Recruitment Regulations, 2025.

   (II). They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in Pay Matrix.** - The number of said posts, their classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.** - The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** - No person,-

   (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;

   (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in Pay Matrix**	**Whether Selection post or Non-Selection Post**	**Age limit for direct recruits**
1	2	3	4	5	6
Administrative Officer	2* (2025) *subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	Pay Level 9 of Pay Matrix (Rs. 53100-167800/-)	Selection	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancy to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made**
7	8	9	10	11
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By promotion failing which by deputation	**Promotion:** Section Officer of DPCC with two years of regular service in post in the Pay Level 8 of Pay Matrix (Rs 47600-151100/-) **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Deputation:** Officers of Central/State Government/Autonomous Bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) Having atleast two years of regular service in posts in the Pay Level 8 of Pay Matrix (Rs 47600-151100/-) **OR** three years of regular service in posts in the Pay Level 7 of Pay Matrix (Rs 44900-

				142400/-) or equivalent; and (b) having the following: (i) Graduate from a recognized University. (ii) Five years' experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity. Persons having Post Graduate Diploma in Personal Management will be preferred. **Note:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications; The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment**
12	13
Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Chairman, DPCC– **Chairman** 2. MS, CPCB or his nominee - **Member** 3. M.S. DPCC- **Member** 4. Two members of Delhi Pollution Control Committee (To be nominated by Chairman) -**Member** 5. Representative of SC/ST of GNCTD – **Member**	Not applicable

SANDEEP MISHRA, Member Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.20 09:44:07 +05'30'